

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन (म.प्र.)

क्रमांक / पु.अ. / उज्जैन / 331-ए / 37-ए / 2021

दिनांक :- 18 / 02 / 2021

प्रति,

उप संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
जिला उज्जैन

विषय :- विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3771 की जानकारी के संबंध में।  
संदर्भ :- पत्र क्रमांक / टी-3 / वि.स. / 2020-21 / 7666 उज्जैन, दिनांक 17.02.2021

—:: 0000 ::—

उपरोक्त संदर्भित पत्र में लेख है कि विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3771 माननीय विधायक श्री बहादूरसिंह चौहान के द्वारा जानकारी चाही गई है, वांछित जानकारी बिन्दुवार प्रेषित है :-

प्रश्न (क) नवलखा बीज कंपनी महिदपुर के संबंध में चल रहे प्रकरण क्रमांक 7740 / 2017 की अद्यतन स्थिति बतावें ?

उत्तर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के वेबसाइट <https://main.sci.gov.in/case-status> के अवलोकन से SLP.No.(Cri.) 7740 / 2017 "मध्यप्रदेश शासन विरुद्ध हसमुखलाल नवलखा" में दिनांक 19.03.2018 के बाद कोई सुनवाई हेतु दिनांक नियत नहीं हुई है।


प्रश्न (ख) क्या कारण है कि लगभग 3 वर्ष तक इस प्रकरण में तारीखे नहीं लगने का संबंधित विभागीय अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया ? इन पर अब तक विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित प्रकरणों में सुनवाई का नियंत्रण राज्य शासन के अधिकार में नहीं है। राज्य शासन की ओर से नियुक्त स्थाई अधिवक्ता को लंबित प्रकरण में सुनवाई हेतु प्रभारी अधिकारी की ओर से समय समय पर पत्राचार किया गया है।

परिशिष्ट क्र० 1  
पृष्ठ क्र० - 1

  
ADPA (Seed)

श्री राजेश्वर परमार

  
अनुमामा अधिकारी (2)  
मध्य प्रदेश शासन,  
कृषि विभाग, मंत्रालय, घोषाबाद.